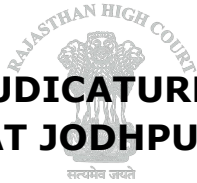


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Interim Bail Application No.
8864/2026

CNR: RJHC010627362026

URN: CRLMB / 19257U / 2026

Vikram Alais Vicky Gamelani S/o Bhagwan Das, Aged About 29
Years, R/o House No 18/107 Chopasani Housing Board Jodhpur
Rajasthan (Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Bishnoi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

14/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी अंतरिम जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-259/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 333, 115(2), 140(3), 308(2), 308(3), 303(2), 127(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

02. प्रार्थी-अभियुक्त के दो नियमित जमानत आवेदन पूर्व में निस्तारित हो चुके हैं। वर्तमान जमानत आवेदन अंतरिम जमानत हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी-अभियुक्त के दाहिने गुर्दे की नली में बड़ी पथरी पाई गई है, विशेषज्ञों के यहां सर्जरी होनी है और इस प्रयोजन के लिए 30 दिन की अंतरिम सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

03. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी-अभियुक्त की आवश्यक चिकित्सा जेल में

रहते हुए करवाई जा रही है, अतः प्रार्थी-अभियुक्त का यह अंतरिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

05. वर्तमान मामले में प्रार्थी-अभियुक्त की चिकित्सा स्थिति के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक के माध्यम से रिपोर्ट चाही, जिस पर विशिष्ट चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, जेल औषधालय, जोधपुर द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई है कि प्रार्थी-अभियुक्त के गुर्दे की नली में बड़ी पथरी पाई गई है, यूरोलोजिस्ट से जांच के उपरांत प्रार्थी-अभियुक्त को एम्स, हॉस्पिटल, जोधपुर में रेफर किया गया, जहां जांच हेतु दिनांक 18.08.2026 तारीख नियत की गई है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि शीघ्र उपचार नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी-अभियुक्त अत्यधिक दर्द से ग्रसित है, अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है।

06. अन्तरिम जमानत आवेदन पर विचार किया। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में दिनांक 17.07.2026 से दिनांक 05.08.2026 तक की अवधि हेतु अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **विक्रम उर्फ विक्की गेमलानी पुत्र भगवानदास** की ओर से प्रस्तुत यह अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद दो लाख रुपये का बंधपत्र तथा एक-एक लाख रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे कि वह अंतरिम जमानत अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने पर अर्थात् दिनांक 06.08.2026 को प्रातः 10 बजे तक पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा तो प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 17.07.2026 से दिनांक

05.08.2026 तक की अवधि के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

08. प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा पुनः दिनांक 06.08.2026 को संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को भेजी जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J